अनुसूची 14— फारम सं. 562

आदेश—पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख..तक

जिला.............मधुबनी........................संख्या—............... ...103.......................सन् 2018—19

केश का प्रकार — बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा—9 के अंतर्गत जमाबंदी रद्दीकरण वाद

अर्जीकार— सरकार (अंचल अधिकारी, मधेपुर) प्रतिपक्षीः—गंगाधर झा

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
28.12.18	भूमि सुधार उप समाहर्ता, झंझारपुर ने अनुशंसा सहित पत्र संख्या— 1093/रा0 दिनांक— 21.12.2018 से अंचल अधिकारी, मधेपुर द्वारा संधारित अभिलेख अग्रसारित करते हुये अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजा है। अंचल अधिकारी द्वारा आदेशफलक में लिखा गया है कि प्रश्नगत भूमि से संबंधित अपर समाहर्ता मधुबनी के न्यायालय में वाद संख्या— 30/94—95 गंगाधर झा द्वारा बिहार सरकार के विरूद्ध दायर किया गया जिसमें दिनांक— 09.08.1996 को पारित आदेश में न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि वादी गंगाधर झा का प्रश्नगत भूमि पर कोई अधिकार नहीं है तथा जमाबंदी बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश के खोला गया था जिसे बंद करना चाहिए था। अपर समाहर्ता द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध व्यवहार न्यायालय झंझारपुर में स्वत्व वाद संख्या— 39/1997 दायर किया गया जिसमें सुनवाई के उपरान्त दिनांक— 01.03.2011 को माननीय न्यायालय द्वारा वादी के आवेदन को खारिज कर दिया गया। अंचल अधिकारी ने आदेशफलक में यह भी लिखा है कि जमाबंदी पंजी के अनुसार श्री दीपक कुमार झा पे0 स्व0 चन्द्रमोहन झा सा0 मधेपुर के नाम से मौजा—मधेपुर थाना नं. 259 खाता संख्या— 3052 खेसरा संख्या— 1076 नया रकवा 0.20 डी0 जिसका पुराना खाता संख्या— 1532 खेसरा—7294 रकवा 0—4—16 धुर है , का जमाबंदी संख्या— 1081 पूर्व से चल रहा है। **पुराना राजस्व कागजात के अनुसार पुराना खतियान प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ खास है तथा नया सर्वे खतियान में अनाबाद बिहार सरकार के नाम से दर्ज है।** हल्का में संधारित पंजी—2 भौलूम संख्या—01 पृष्ठ संख्या— 592 के अनुसार गंगाधर झा के नाम से 0—4—16 धुर का जमाबंदी कायम किया गया है परन्तु उसमें खाता खेसरा अंकित नहीं है। जमाबंदी कायम होने से संबंधित दाखिल खारिज केश संख्या एवं वरीय पदाधिकारी का आदेश अंकित नहीं है सिर्फ जमाबंदी उपलब्ध रहने के कारण निर्गत रसीद के आधार पर जमाबंदी कायम किया गया है। **स्वत्व वाद संख्या—39/1997 में पारित आदेश के आधार पर मौजा—मधेपुर थाना संख्या—259 जमाबंदी संख्या— 1081 जो श्री गंगाधर झा के नाम से चल रहा है, को रद्द करने की अनुशंसा की गई है।** भूमि सुधार उप समाहर्ता, झंझारपुर ने भी अनुशंसा के साथ अग्रसारित किया है। अंचल अधिकारी अपने अंचल क्षेत्रान्तर्गत पड़नेवाली भूमि के राजस्व अभिलेख के संरक्षक हैं। चूँकि प्रश्नगत भूमि के संबंध में स्वत्व वाद संख्या—39/1997 में माननीय सिविल न्यायालय का आदेश पारित हो चूका है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदनानुसार **पूराना सर्वे खतियान प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ खास है तथा नया सर्वे खतियान में अनाबाद बिहार सरकार दर्ज है। बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा—9 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये सरकारी खाते की भूमि का रैयत के नाम कायम जमाबंदी संख्या—1081 को रद्द किया जाता है।** **आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता, झंझारपुर एवं अंचल अधिकारी, मधेपुर को यथोचित कार्यार्थ भेजें।** लेखापित अपर समाहर्ता, मधुबनी। 28/12/18 अपर समाहर्ता, मधुबनी।	